न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 174 दायर दिनांक : 13.11.2019

1. सुभाषचन्द्र } पुत्रगण लालचन्द अकवाम मेघवाल (मेघवंशी)
2. प्रभुदयाल } निवासीयान भागसर तहसील पीलीबंगा
3. रमेश कुमार } पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम मेघवाल (मेघवंशी)
4. राजेन्द्र } निवासीयान भागसर तहसील पीलीबंगा

—वादीगण

बनाम

1. लालचन्द } पुत्रगण बीरबलराम अकवाम मेघवाल (मेघवंशी)
2. ओमप्रकाश } नि. भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 30.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1—2 के पिता बीरबलराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी भागसर के नाम से वाके चक 7 एस.जी.आर. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 7/313 (68) के किला नं. 11 ता 25 = 3.125 है0, पत्थर नं. 8/313 (69) के किला नं. 8 ता 25 = 3.922 है0, व पत्थर नं. 8/314 (72) के किला नं. 1, 2, 9 ता 25 = 4.592 है0, कुल 11.639 है0 अनकमाण्ड/बारानी/नहरी मय खाला रास्ता भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो बीरबलराम की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 एवं किशनलाल व बिहारीलाल के वारिसान के नाम विरासतन बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ। विरासतन

क्रमशः ..... पेज 2 पर

प्राप्त रकबा में से वादीगण सं. 1 व 2 का प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रकबा में 2/3 हिस्सा एवं वादीगण सं. 3 व 4 का प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रकबा में 2/3 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी बनता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से अपने हिस्सा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग की तो प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये व बेचान करने की धमकी दी, इसलिए वादीगण ने जैरवाद वाके चक 7 एस.जी. आर. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 7/313 (68) के किला नं. 11 ता 25 = 3.125 है0, पत्थर नं. 8/313 (69) के किला नं. 8 ता 25 = 3.922 है0, व पत्थर नं. 8/314 (72) के किला नं. 1, 2, 9 ता 25 = 4.592 है0, कुल 11.639 है0 अनकमाण्ड/बारानी/नहरी मय खाला रास्ता भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रकबा में से वादीगण सं. 1 व 2 को 2/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रकबा में से वादीगण सं. 3 व 4 को 2/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करते हुए, घोषित रकबा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर, वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थना–पत्र मय सहमति–पत्र (राजीनामा) प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वाद के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 चक 7 एस.जी.आर.'ए' की प्रमाणित प्रति एवं वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मध्य निष्पादित सहमति–पत्र राजीनामा की असल प्रति का अवलोकन करवाते हुए जैरवाद चक 7 एस.जी.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 49/43 के पत्थर नं. 7/313 (68) के किला नं. 11/0.177 है0, 12/0.164 है0, 13/0.114 है0, 14/1 में 0.089 है0, 15/1 में 0.051 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 3.125 है0, पत्थर नं. 8/313 (69) के किला नं. 8/2 में 0.013 है0, 9/2 में 0.063 है0, 10/2 में 0.089 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.215 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 3.922 है0, व पत्थर नं. 8/314 (72) के किला नं. 1–2/0.506 है0, 9 ता 14/1.518 है0, 15/1 में 0.038 है0,

क्रमशः ..... पेज 3 पर

16 ता 25/2.530 है0 = 4.592 है0, कुल 11.639 है0 (8.224 है0 नहरी, 3.125 है0 अ.क.बा., 0.113 है0 खाला व 0.177 है0 गै.मु.रास्ता) भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द, प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश व कृष्णलाल के नाम दर्ज 8.729 है0 रकबा में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा में वादीगण सं. 1 व 2 को 2/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा में वादीगण सं. 3 व 4 को 2/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करते हुए, घोषित रकबा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर, वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण ने भी वाद वादीगण स्वीकार कर मुताबिक सहमति–पत्र राजीनामा दावा डिक्री करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से पठन व मनन करने के पश्चात् पाया कि वादीगण ने चक 7 एस.जी.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 49/43 में अंकित कुल 11.639 है0 नहरी, अ.क.बा. मय खाला मय रास्ता भूमि में से 8.729 है0 भूमि में से 1/3–1/3 हिस्सा रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को विरातसन प्राप्त रकबा बताते हुए उसमें प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 को 2/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 2 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 3 व 4 को 2/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर, इतना ही रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम से कलमजन कर, वादीगण के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित सहमति–पत्र राजीनामा में भी प्रतिवादीगण ने जैरवाद उक्त खातेदारी रकबा में अपने नाम दर्ज रकबा को विरासतन प्राप्तशुदा बताते हुए, उसमें अपने जीवनकाल में वादीगण के हक समाहित होना स्वीकार किया है व 8.729 है0 भूमि में से अपने नाम दर्ज 1/3–1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 एवं 3 व 4 को 2/3–2/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन किया है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने से राज्य हितों को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी चक 7 एस.जी.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 49/43 के पत्थर नं. 7/313 (68) के किला नं. 11/0.177 है0, 12/0.164 है0, 13/0.114 है0, 14/1 में 0.089 है0, 15/1 में 0.051 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 3.125 है0, पत्थर नं. 8/313 (69) के किला नं. 8/2 में 0.013 है0, 9/2 में 0.063 है0, 10/2 में 0.089 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.215 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 3.922 है0, व पत्थर नं. 8/314 (72) के किला नं. 1–2/0.506 है0, 9 ता 14/1.518 है0, 15/1 में 0.038 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 4.592 है0, कुल 11.639 है0 (8.224 है0 नहरी, 3.125 है0 अ.क.बा., 0.113 है0 खाला व 0.177 है0 गै.मु.रास्ता) भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द, प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश व कृष्णलाल पि. बीरबलराम के नाम दर्ज 8.729 है0 रकबा में से प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा में वादीगण सं. 1 व 2 सुभाषचन्द्र व प्रभुदयाल पुत्रगण लालचन्द अकवाम मेघवाल (मेघवंशी) निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा को 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा में वादीगण सं. 3 व 4 रमेश कुमार व राजेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम मेघवाल (मेघवंशी) निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा को 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी घोषणा के फलस्वरूप घोषित रकबा चक 7 एस.जी.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द व प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश के नाम से कलमजन कर वादीगण सं. 1 व 2 सुभाषचन्द्र, प्रभुदयाल पुत्रगण लालचन्द, एवं वादीगण सं. 3 व 4 रमेश कुमार, राजेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो दायित्व पूर्व में देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द, वादीगण सं. 1 व 2 सुभाषचन्द्र, प्रभुदयाल पुत्रगण लालचन्द द्वारा बहिस्सा बराबर देय होंगे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो दायित्व पूर्व में देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश, वादीगण सं. 3 व 4 रमेशकुमार, राजेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश द्वारा बहिस्सा बराबर देय होंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र } पुत्रगण लालचन्द अकवाम मेघवाल (मेघवंशी)
2. प्रभुदयाल } निवासीयान भागसर तहसील पीलीबंगा
3. रमेश कुमार } पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम मेघवाल (मेघवंशी)
4. राजेन्द्र } निवासीयान भागसर तहसील पीलीबंगा

–वादीगण

बनाम

1. लालचन्द } पुत्रगण बीरबलराम अकवाम मेघवाल (मेघवंशी)
2. ओमप्रकाश } नि. भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 174 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी चक 7 एस.जी.आर. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 49/43 के पत्थर नं. 7/313 (68) के किला नं. 11/0.177 है0, 12/0.164 है0, 13/0.114 है0, 14/1 में 0.089 है0, 15/1 में 0.051 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 3.125 है0, पत्थर नं. 8/313 (69) के किला नं. 8/2 में 0.013 है0, 9/2 में 0.063 है0, 10/2 में 0.089 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.215 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 3.922 है0, व पत्थर नं. 8/314 (72) के किला नं. 1–2/0.506 है0, 9 ता 14/1.518 है0, 15/1 में 0.038 है0, 16 ता 25/2.530 है0 = 4.592 है0, कुल 11.639 है0 (8.224 है0 नहरी, 3.125 है0 अ.क.बा., 0.113 है0 खाला व 0.177 है0 गै.मु.रास्ता) भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द, प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश व कृष्णलाल पि. बीरबलराम के नाम दर्ज 8.729 है0 रकबा में से प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा में वादीगण सं. 1 व 2 सुभाषचन्द्र व प्रभुदयाल पुत्रगण लालचन्द अकवाम मेघवाल (मेघवंशी) निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा को 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा में वादीगण सं. 3 व 4 रमेश कुमार व राजेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम मेघवाल (मेघवंशी) निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा को 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी घोषणा के फलस्वरूप घोषित रकबा चक 7 एस.जी.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द व प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश के नाम से कलमजन कर वादीगण सं. 1 व 2 सुभाषचन्द्र, प्रभुदयाल पुत्रगण लालचन्द, एवं वादीगण सं. 3 व 4 रमेश कुमार, राजेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो दायित्व पूर्व में देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द, वादीगण सं. 1 व 2 सुभाषचन्द्र, प्रभुदयाल पुत्रगण लालचन्द द्वारा बहिस्सा बराबर देय होंगे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो दायित्व पूर्व में देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश, वादीगण सं. 3 व 4 रमेशकुमार, राजेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश द्वारा बहिस्सा बराबर देय होंगे।

नोज ....×........ मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30.12.2019 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.03 10:51:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: